रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

(प्राधिकरण के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम, 2015 है ।

विनियमों का उद्देश्य कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के तहत अपने कार्यसम्पादन के लिए प्राधिकरण की बैठकों की प्रक्रिया का मानकीकरण करना है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा गठित सदस्यों की समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "पदाभिहित अधिकारी" से प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उसके द्वारा प्राधिकरण या किसी समिति की बैठकों की सूचना जारी करने, कार्यसूची के परिचालन, बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखन, परिचालन और सुरक्षित रख रखाव का, सामान्य मुद्रा को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने और साधारणतया यह सुनिश्चित करने के कर्तव्य और दायित्व से कि इन विनियमों का अनुसरण किया जा रहा हैं, प्रभारित किया गया है ;

(घ) "अभिलेख" से कार्यसूची, प्रस्ताव, बैठक में किए गए विनिश्चय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य के मत भी हैं ;

(ड.) प्राधिकरण के संबंध में "कुल संख्या" से दिए गए किसी समय पर विद्यमान सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: अधिनियम में हैं ।

IndiaCode

अध्याय 2

अधिवेशन बुलाना

3. प्राधिकरण के अधिवेशनों का बुलाया जाना- (1) प्राधिकरण, अपने कारबार के संव्यवहार में उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो किन्तु किसी वर्ष में कम से कम चार बार अधिवेशन करेगा ।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य द्वारा प्राधिकरण के अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान निश्चित किया जाएगा और अधिवेशन की कार्यसूची की मदों का अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष से प्राधिकरण का अधिवेशन बुलाने की तब अपेक्षा होगी यदि कोई दो सदस्य लिखित में ऐसे अधिवेशन बुलाने का अनुरोध करें :

परंतु यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो दो सदस्य लिखित में पदाभिहित अधिकारी से प्राधिकरण का ऐसा अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा कर सकेंगे ।

(4) प्राधिकरण का ऐसा कोई कार्य सदस्यों को कागजपत्रों के परिचालन द्वारा संपादित किया जा सकेगा और उस पर कार्रवाई की जा सकेगी, यदि उसका अनुमोदन हो जाता है । प्रस्ताव को, उसकी पुष्टि के लिए प्राधिकरण के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखा जाएगा ।

4. अधिवेशनों की अध्यक्षता- (1) अध्यक्ष, प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(2) यदि अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पूर्णकालिक सदस्यों में से एक का चुनाव करेंगे ।

5. अधिवेशन का स्थान और समय- (1) प्राधिकरण का प्रत्येक अधिवेशन सामान्यतया उसके मुख्यालय पर, ऐसे समय पर होगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए । जब परिस्थिति से ऐसा उपदर्शित होता है कि किसी अन्यत्र स्थान पर अधिवेशन किया जाना समीचीन है तो अध्यक्ष के अनुमोदन से उसे भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा । ऐसे मामले में ऐसा अधिवेशन बुलाने की सूचना में अधिवेशन का समय और स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) अधिवेशन के दौरान दूरस्थ सहभागिता, वीडियो कांफ्रेंसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक साधन का उपयोग करके की जा सकेगी । ऐसे सदस्य को, जो अधिवेशन में दूरस्थ रूप से भाग लेता है, गणपूर्ति या बहुमत स्थापित करने के लिए गणना में

लिया जाएगा । दूरस्थ सहभागिता की दशा में, पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपस्थित अभिलेखों में "दूरस्थ सहभागिता" लिखा जाएगा ।

6. सूचना- प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना सामान्यतया कम से कम सात कार्य दिवस पूर्व दी जाएगी और कार्यसूची के कागजपत्रों सहित ऐसी सूचना, प्रत्येक सदस्य को सात कार्यदिवस पूर्व अग्रिम रूप से भारत में उसके सामान्य निवास स्थान के ऐसे पते पर जो उसके द्वारा प्राधिकरण को दिया गया है, भेजी जाएगी ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां प्राधिकरण का अध्यापेक्षित अधिवेशन बुलाया जाना अपेक्षित है वहां सात दिन की सूचना की अपेक्षा नहीं होगी । तथापि, सदस्यों को अधिवेशन में भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त सूचना दी जाएगी ।

(3) सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचना, कार्यसूची और कार्यवृत्त रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा परिदत्त या भेजी जा सकेगी या किसी अन्य माध्यम से और संचार के विश्वसनीय आधुनिक ऐसे साधनों द्वारा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मान्यताप्राप्त हो, पारेषित की जा सकेगी ।

(4) अधिवेशन में ऐसे कामकाज से भिन्न, जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, किसी अन्य कामकाज पर, अधिवेशन के अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य की सहमति और उपस्थित सदस्यों के बहुमत के सिवाए चर्चा नहीं की जाएगी ।

7. गणपूर्ति – (1) प्राधिकरण के अधिवेशन में कामकाज के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ उपस्थित नियुक्त सदस्यों के आधे से न्यूनतम होगी और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अंशकालिक सदस्य होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपनियम (1) के अधीन कुल संख्या के आधे की संगणना करते समय यदि कोई अपूर्णांक उत्पन्न होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(2) यदि अधिवेशन के आयोजन के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, अधिवेशन को किसी अन्य दिन या ऐसे समय के लिए स्थगित करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे स्थगन की सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी और ऐसा कामकाज, जो मूल अधिवेशन के समक्ष रखा जाना था यदि उसमें गणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष रखा जाएगा । जहां स्थगित अधिवेशन में भी अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है वहां अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति की जाएगी ।

(3) सभी प्रश्न जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उठाए जाने थे, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

8. अधिवेशन का कार्यवृत्त- (1) पदाभिहित अधिकारी, प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा । प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों की प्रति सदस्यों को उनकी टिप्पणियों और पुष्टि के लिए पारिचालित की जाएगी ।

(2) किसी सदस्य से, यदि सात दिन के भीतर टिप्पणियां या पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य के अनुमोदन से कार्यवृत्त जारी कर दिया जाएगा । अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य के अनुमोदन से पदाभिहित अधिकारी भी प्राधिकरण के अधिवेशन में लिए गए विनिश्चय के कार्यवृत्त या उद्धरणों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने और उपयुक्त रिपोर्ट प्रणाली विकसित करके उसके अनुपालन को मानीटर करने के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियो को संसूचित करेगा ।

(3) प्राधिकरण के अगले अधिवेशन के पश्चात् पुष्टि किया गया कार्यवृत्त अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे अभिलेख पर लिया जाएगा । प्रत्येक पुस्तक का हर एक पृष्ठ आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित होगा और ऐसी पुस्तकों में प्रत्येक अधिवेशन की अभिपुष्ट कार्यवाहियों के अभिलेख का अंतिम पृष्ठ अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा और उसे अभिलेख पर लिया जाएगा ।

(4) इन विनियमों के अनुसार रखा गया कार्यवाहियों का कार्यवृत्त उस अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा ।

(5) प्राधिकरण, ऐसे प्रयोजन के लिए रखी पुस्तकों में अनुरक्षित किए जाने वाले सभी कार्यवाहियों के ऐसे कार्यवृत्त को, जो ऐसे जिल्दबंद रूप में है, जिसमें खुले पृष्ठ अंतर्विष्ट हैं, सम्यक् से पृष्ठांकित करवाएगा तथा उसकी नियमित रूप से जिल्द बनवाएगा । किसी भी दशा में अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को यथा पूर्वोक्त ऐसी किसी पुस्तक के साथ चिपकाकर या उससे अन्यथा संलग्न नहीं किया जाएगा ।

(6) उपविनियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यवृत्त को सूक्ष्म फिल्मों के रूप में या अभिलेखों के सुरक्षित भंडारण और पुन:प्राप्ति के किसी अन्य प्राधिकृत आधुनिक साधन के रूप में या कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित मुद्रित सामग्री के रूप में भी रखा जा सकेगा । यदि वह किसी विधि के अधीन या ऐसी विधि में उल्लिखित शर्तों, निर्बंधनों या रक्षोपायों के अधीन रहते हुए मान्यता प्राप्त है ।

(7) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त में, अधिवेशन में लिए गए विनिश्चय का ऋजु और सही सार अंतर्विष्ट होगा ।

(8) कार्यवृत्त में,-

(क) अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम ; और

(ख) अधिवेशन में लिए गए प्रत्येक विनिश्चय की दशा में ऐसे सदस्य का नाम या ऐसे सदस्यों के नाम, यदि कोई हों, जो बहुमत से लिए गए निर्णय से विसम्मत है या हैं अथवा सहमत नहीं है या हैं,

भी अंतर्विष्ट होंगे ।

(9) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात को किसी विषय के, जो प्राधिकरण के हितों में अवधारणीय हैं, किसी ऐसे कार्यवृत्त में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण- यथास्थिति, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, इस उपविनियम (9) में यथाविनिर्दिष्ट कार्यवृत्त में किसी विषय को सम्मिलित किए जाने या सम्मिलित न किए जाने के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा ।

9. अधिवेशन के अतिथि- ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी परामर्श के लिए या उसकी सलाह के लिए अधिवेशन में उपस्थिति वांछनीय है, अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा ।

अध्याय 3

सदस्यों की बाध्यताएं

10. अधिवेशनों में उपस्थित रहने की सदस्यों की बाध्यताएं – (1) किसी सदस्य को प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहना होगा, सिवाए वहां के, जहां अनुस्थित रहने की इजाजत की ईप्सा की गई है और अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसी इजाजत दे दी गई है, ऐसी अनुपस्थिति की इजाजत को अधिवेशन के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई सदस्य जो कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे निदेशक के रूप में, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र ऐसे अधिवेशन में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन प्राधिकरण की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपविनियम में निर्दिष्ट "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" पद के अंतर्गत किसी सदस्य का, या तो स्वयं या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 की परिभाषा के अर्थांतर्गत उसके नातेदारों के मार्फत या उस सत्ता के निदेशक या भागीदार होने के कारण कोई सरोकार या हित भी है ।

IndiaCode

11. किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में सूचना देने की बाध्यता- (1) कोई सदस्य, यदि वह अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है, यथाशीघ्र प्राधिकरण को सूचित करेगा ।

(2) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा, यदि उसकी जानकारी में यह आता है कि कोई सदस्य, उपविनियम (1) में निर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रसित है ।

12. विश्वसनीयता की घोषणा- प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने के पूर्व, प्राधिकरण के और उससे संबंधित सभी विषयों के संव्यवहार के संबंध में स्वयं सर्वथा गोपनीयता का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हुए तथा ऐसी किसी विषय या सूचना को, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके ज्ञान में आए, तब के सिवाए जब प्राधिकरण द्वारा या विधि द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा हो या वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो, स्वयं प्रकटन न करने की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हुए नीचे दी गई अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

13. रीति और प्रारूप, जिसमें संविदाओं का निष्पादन किया जा सकेगा- (1) कोई संविदा, जिसमें, यदि ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों के बीच की जाती है, विधि द्वारा लिखित में, उससे प्रभारित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित हो, प्राधिकरण की ओर से, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में हस्ताक्षर द्वारा की जा सकेगी और उसी रीति में उसमें परिवर्तन या उसका निर्वहन किया जा सकेगा ।

(2) किसी संविदा से संबंधित किसी दस्तावेज, प्राधिकरण की ओर से, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के निमित्त और उसकी ओर से ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के उपबंधों के अनुसार की गई सभी संविदाएं विधिमान्य होंगी और प्राधिकरण पर बाध्यकर होंगी ।

14. लेखाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर- (1) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य या कोई ऐसा अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा पदनाम से या उससे अन्यथा नाम निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण के निमित्त या उसकी ओर से प्राधिकरण के नाम की या उसके द्वारा धारित परक्राम्य लिखतों, स्टॉक प्राप्तियों, स्टॉक डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूतियों, स्थावर और जंगम संपत्तियों के हक के दस्तावेजों का पृष्ठांकन, अंतरण करने के लिए और प्राधिकरण के चालू और प्राधिकृत कारबार के विनिमय पत्र और अन्य लिखतों को तैयार करने, स्वीकार करने और उनको पृष्ठांकित करने के लिए तथा ऐसे कारबार से संबंधित अन्य सभी लेखाओं, पावतियों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पृथक्-पृथक् रूप से प्राधिकृत होगा ।

(2) वादपत्रों, लिखित कथनों, परिवादों, शपथपत्रों, अर्जियों और विधिक कार्यवाहियों से संबंधित अन्य दस्तावेजों को अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के निमित्त और उसकी ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा । इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, मंच, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य देने का प्राधिकार भी सम्मिलित है ।

15. सामान्य मुद्रा का लगाया जाना- किसी लिखत पर, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा सिवाए प्राधिकरण के संकल्प के अनुसरण में और कम से कम किसी एक ऐसे सदस्य की उपस्थिति में, जो ऐसी लिखत पर अपनी उपस्थिति के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करेगा, नहीं लगाई जाएगी और ऐसा हस्ताक्षरण किसी ऐसे व्यक्ति की, जो एक साक्षी के रूप में लिखत पर हस्ताक्षर कर सकेगा, हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी ।

16. समिति के सदस्य- (1) इन विनियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित समिति के अधिवेशनों को लागू होंगे ।

(2) अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में समिति के अधिवेशन में उपस्थित हो सकेगा और जहां कहीं अध्यक्ष, समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होता है वहां वह उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

17. प्रेस को सूचना – अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई सदस्य, प्राधिकरण के कार्यकरण से संबंधित विषयों और अधिवेशनों में लिए गए विनिश्चयों के बारे में प्रेस या किसी अन्य सार्वजनिक मीडिया को जानकारी नहीं देगा ।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./203/14/270]

अनुसूची

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम, 2015

(विनियम 12 देखिए)

विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा

IndiaCode

मैं,.....सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं कि मैं, ऐसे कर्तव्यों का, जो प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मुझसे अपेक्षित हैं और जो उक्त प्राधिकरण में और उसके संबंध में उसके द्वारा धारित पद या ओहदे से उचित रूप से संबंधित हैं, निष्ठापूर्वक, सत्यता से और अपनी सर्वोत्तम कौशल और योग्यता से निष्पादित और अनुपालन करूंगा ।

मैं, यह और घोषणा करता हूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधिक रूप से उसके लिए हकदार नहीं है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों के संबंध में या उक्त प्राधिकरण के साथ कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यकलापों के संबंध में संसूचित नहीं करूंगा या संसूचित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करूंगा और न ही मैं किन्हीं ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों का, जो उक्त प्राधिकरण के हैं या उसके कब्जे में है और जो उक्त प्राधिकरण के कारबार से संबंधित है या उक्त प्राधिकरण के साथ कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबंधित हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को निरीक्षण करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात नहीं करूंगा ।

तारीख :

स्थान :

(हस्ताक्षर)

.....मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

Pension Fund Regulatory and Development Authority

(Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2015

No PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (a) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2015.

The aim of the regulations is to standardize the procedure for meeting of the Authority for transacting its business in effective discharge of its duties.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "committee" means a committee of the members formed by the Authority, by a general or special order in writing, under sub-section (2) of section 49 of the Act;

(c) "designated officer" means any officer of the Authority charged by it with the duty and responsibility of issuance of notice, circulation of agenda, recording, circulation and safe-keeping of minutes of the meetings of the Authority or a committee, to keep safe custody of common seal and generally to ensure that these regulations are followed;

(d) "records" means the agenda, proposals, decisions taken at the meetings, and includes the votes of each member;

(e) "total strength", in relation to the Authority, means the total number of members existing at any given time.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

CONVENING OF MEETINGS

3. Convening of meetings of Authority.- (1) The Authority shall meet, as often as may be necessary to transact its business but not less than four times in a year.

(2) The Chairperson or, in his absence, by any member nominated by the Chairperson in this behalf, shall fix the date, time and place of a meeting of the Authority and approve the items of agenda for the meeting.

(3) The Chairperson would be required to convene a meeting of the Authority if any two members request for such a meeting in writing:

Provided that if the Chairperson is not available, any two members may in writing require the designated officer to convene such meeting of the Authority.

(4) Any business of the Authority may be transacted by circulation of papers to the members and acted upon, if approved. The resolution shall be placed before the next meeting of the Authority for its confirmation.

4. Presiding over meetings.- (1) The Chairperson shall preside over every meeting of the Authority.

(2) If the Chairperson is not present at any meeting of the Authority, the members present shall choose one from among the whole time members to preside over the meeting.

5. Place and time of meetings.- (1) Every meeting of the Authority shall normally be held at its head office at such time as may be specified in the notice. When circumstances render it expedient to hold a meeting elsewhere, the same may, with approval of the Chairperson, be so held at any other place in India. In such a case, the notice convening such meeting shall specify the time and place of the meeting.

(2) Remote participation, during a meeting, may be carried out using videoconferencing or any other electronic means. Members who participate in a meeting remotely shall be counted in establishing a quorum or a majority. In the event of a remote participation, attendance records shall be annotated "remote participation" by the designated officer.

6. Notice.- (1) Not less than seven working days notice shall ordinarily be given of each meeting of the Authority and such notice along with agenda papers shall be sent to every member, seven working days in advance at his usual address in India as furnished by him to the Authority.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a requisitioned meeting of the Authority is required to be convened, seven days' notice may not be required. However, sufficient notice shall be given to the members to enable them to attend the meeting.

(3) The notice, agenda and the minutes may be delivered to the members personally upon acknowledgement or dispatched through registered post or transmitted through any other secure and reliable modern means of communication, as may be recognized under law for the time being in force.

(4) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Authority, except with the consent of the Chairperson or the member presiding at the meeting and a majority of the members present.

7. Quorum.- (1) The quorum for transaction of business at a meeting of the Authority shall be a minimum of one-half of the appointed members present, with minimum of three members, and at least one of the members present should be a part time member.

Explanation.-For the removal of doubt it is hereby declared that while calculating the one-half of total strength under sub-regulation (1), if any fraction that might arise be disregarded.

(2) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting the quorum is not present, the Chairperson or the presiding member, as the case may be, shall adjourn the meeting for such hour on some other day as he may deem fit and the notice of such adjournment shall be given to all the members and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting. Where at the adjourned meeting also, the required quorum is not present, the members present at the meeting shall form the quorum.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the person presiding shall have a second or casting vote.

8. Minutes of the meeting.- (1) The designated officer shall record the minutes of proceedings of each meeting of the Authority. A copy of the proceedings of each meeting of the Authority shall be circulated to the members for their comments or confirmation.

(2) If no comments or confirmation is received from a member within seven days, the minutes would be issued with the approval of Chairperson or presiding member. The designated officer shall also communicate, with the approval of the Chairperson or the presiding member, the minutes or extracts of the decision taken at the meeting of the Authority to all concerned for necessary follow-up action and monitor their compliance by evolving a suitable reporting system. Periodical reports on follow-up action shall be submitted to the Authority.

(3) After the next meeting of the Authority, the confirmed minutes shall be signed by the Chairperson or presiding member and taken on record thereafter. Each page of every book shall be initialed or signed and the last page of the record of the confirmed proceedings of each meeting in such books shall be dated and signed by the Chairperson or the presiding member and taken on record.

(4) Minutes of the proceedings kept in accordance with these regulations shall be evidence of the proceedings recorded therein.

(5) The Authority shall cause the minutes of all the proceedings to be maintained in the books kept for the purpose which may be in the form of binders containing loose leaves, duly numbered and bound regularly. In no case the minutes of the proceedings of a meeting shall be attached to any such book as aforesaid by pasting or otherwise.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (5), the minutes may also be kept by way of micro films or any other authentic modern means of safe storing and retrieval of records or printed material produced by a computer, if the same is recognised under any law and subject to the conditions, restrictions or safeguards mentioned in such law.

(7) The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the decision arrived at the meeting.

(8) The minutes shall also contain-

(a) the names of the members present at the meeting; and

(b) in the case of each decision taken at the meeting, the name of a member or names of the members, if any, dissenting from, or not concurring with the decision taken by majority.

(9)Nothing contained in this regulation shall be deemed to require the inclusion in any such minutes of any matter which are detrimental to the interests of the Authority.

Explanation.- The Chairperson or, the presiding *member, as the case may be, shall exercise an absolute discretion in regard to the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes as specified in this sub-regulation.*

9. Invitees at meeting.- Any person whose presence at a meeting is desired for consultation or his advice, may be invited to attend the meeting by the Chairperson.

CHAPTER III

OBLIGATIONS OF MEMBERS

10. Obligations of the members to attend meetings.-(1) A member shall attend all the meetings of the Authority, save where leave of absence has been sought and the same has been granted by the Chairperson or the presiding member; such leave of absence shall be recorded in the minutes of the meeting.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), if any member, who is director of a company and who as such director, has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Authority, he shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and

such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Authority, and the member shall not take part in any deliberation or decision of the Authority with respect to that matter.

Explanation.- The expression "direct or indirect" referred to in this sub-regulation shall include any concern or interest of a member either by himself or through his relatives within the meaning of definition of section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or by reason of being director or partner of that entity.

11. Obligation of a member to give information of disqualification.- (1) A member, as soon as may be, inform the Authority if he becomes subject to any of the disqualifications specified in section 6 of the Act.

(2) The Authority shall inform the Central Government, if it comes to its notice that any member has attracted the disqualifications referred to sub-regulation (1).

12.Declaration of fidelity.- Every member, before entering upon his duties, shall sign a declaration of fidelity and secrecy in the form, set out in the Schedule below, pledging himself to observe strict secrecy in relation to all transactions of the Authority and all matters relating thereto and shall by declaration pledge himself not to reveal any of the matters or information which may come to his knowledge in the discharge of his duties except when required or authorised to do so by the Authority or by law.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

13. Manner and form in which contracts may be executed.- (1) Any contract which, if made between private persons would by law be required to be in writing, signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the Authority in writing signed by any member, officer of the Authority or any other person acting under its authority, express or implied and may in the same manner be varied or discharged.

(2) Any document connected with any contract may be signed and verified on behalf of the Authority by any officer authorised by Chairperson to sign such document for and on behalf of the Authority.

(3) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Authority.

14. Signing of accounts and documents - (1) The Chairperson, the whole time members, or any officer as may be nominated by the Chairperson by designation or otherwise are hereby severally authorised for and on behalf of the Authority to endorse and transfer negotiable instruments, stock-receipts, stock, debentures, shares, securities, and documents of title to movable and immovable properties standing in the name of or held by the Authority, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Authority and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business.

(2) Plaints, written statements, complaints, affidavits, petitions and all other documents connected with legal proceedings may be signed and verified on behalf of the Authority by any officer authorised by the Chairperson to sign such documents for and on behalf of the Authority. This shall also include the authority to give evidence before any court, forum, tribunal or authority.

15. Affixation of Common Seal.-The Common Seal of the Authority shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the Authority and in the presence of at least one member who shall sign on such instrument in token of his presence and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness.

16. Committee of members.- (1) The provisions of these regulations shall mutatis mutandis apply to meetings of the committee.

(2) The Chairperson may attend a committee meeting as ex officio member and whenever the Chairperson attends any committee meeting, he shall preside over that meeting.

17. Information to Press.- No member, other than the Chairperson or a person specifically authorized by him in this behalf, shall give information to the Press or any other public media on matters relating to the working of the Authority and decisions taken at the meetings.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./203/14/270]

SCHEDULE

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PROCEDURE FOR AUTHORITY MEETINGS) REGULATIONS, 2015

[*See* regulation 12]

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, _____ do hereby solemnly and sincerely declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as a member of the Authority and which properly relate to the office or position held by me in or in relation to the said Authority.

I further declare that I shall not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto, any information relating to the affairs of the Pension Fund Regulatory and Development Authority or to the affairs of any person having any dealings with the said Authority, nor shall I allow any such person to inspect or to have access to any books or documents belonging to or in the possession of the said Authority and relating to the business of the said Authority or the business of any person having any dealing with the said Authority.

Date :

Place : (Signature)

Signed before me

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.